न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्या0चतुर्थ कटिहार ।

सत्र वाद सं0 304/13

<u>26/11/19</u>

अभियुक्त लियाकत अली की ओर से उपस्थिति पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल की गयी । जिसकी प्रति विद्वान् अ0लो0अभि0 को दी गयी । जमानत के बिन्दू पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त हरेक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा । जमानत देने की कृपा प्रदान की जाय ।

विद्वान् अ0लो0 अभि0 जमानत का विरोध करते हैं ।

उभय पक्षों को सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दि0 25/03/19 को साक्ष्य हेतु निर्धारित था । अभियुक्त उचित पैरवी का निर्देष दिया गया था लेकिन अभियुक्त की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी । इसलिए अभियुक्त का बंधपत्र खंडित किया गया ।प्रस्तुत वाद में अन्य अभियुक्तों का जमानत दि0 26/08/19 को हो चुका है । ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वे अगली निर्धारित तिथियों को सदेह उपस्थित रहेंगे । अतः अभियुक्त को मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का निर्देष दिया जाता है ।

लेखापित

ADJIV

Web Copy Civil Court Katihar